न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-406RAAJodhpur2022-254RTA225 Babulal ors Vs Chenaram etc

01. बाबूलाल पुत्र श्री मदरूपराम जाति जाट, निवासी- सारणों का बास, ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
02. लीलाराम पुत्र श्री हेमाराम, जाति जाट, निवासी- मालकोसनी रोड़, ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. चेनाराम पुत्र सगराम
2. दिलीप पुत्र कुन्नाराम
3. बुद्धाराम पुत्र राणाराम
4. बाबूराम पुत्र सगराम
5. मोहनलाल पुत्र कुन्नाराम
6. लीलादेवी पुत्री केहराराम
7. शांतिदेवी पुत्री केहराराम
8. सुखीदेवी पुत्री केहराराम
9. सोहनीदेवी पुत्री केहराराम
10. हनुमानराम पुत्र केहराराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
11. पोलाराम पुत्र घीसाराम जाति सुथार, निवासी- ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 10/2021 बाबूलाल व अन्य बनाम चैनाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 11
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक : 03 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 10/2021 बाबूलाल व अन्य बनाम चैनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश कर अपने खेत खसरा नं. 2159 रकबा 1.3181 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अप्रार्थी/रेस्पो. की खातेदारी खेत खसरा नं. 2158 रकबा 1.3187 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2156 रकबा 1.2378 हैक्टेयर में से मार्क ए.बी.सी.डी. 30 फीट चौड़े रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी/रेस्पो. संख्या 11 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 के जरिये प्रार्थी/अपीलांट्स के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा माना गया कि तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है, इसलिए अपीलांट्स सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता स्थापित नहीं कर सकते है। जबकि तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट मुताबिक जो दो वैकल्पिक रास्ते मौके पर होना बताये गये है, जिसमें प्रथम रास्ता खसरा नं. 2123 व 2163 की उतरी मेड़ के सहारे-सहारे होना बताया गया है जो वैकल्पिक रास्ता न तो राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है न ही उक्त वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 2159 तक पहुंचता है, जिसे रेस्पोडेंट संख्या 12 स्वयं ने अपनी रिपोर्ट में माना है। उक्त वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 2160 की पश्चिमी माठ पर ही समाप्त हो जाता है, जिसे रेस्पोडेंट संख्या 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त रास्ता खसरा नं. 2160 एवं 2163 की मेड़ पर पूर्णतया बंद है। उक्त रास्ता केवल खसरा नं. 2163 की उतरी मेड़ पर मौके पर वैकल्पिक रास्ता के केवल अस्थाई चिन्ह होना बताया गया है, यानि मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका फर्द में उक्त विकल्प की दूरी वांछित रास्ते से अधिक बताई है। दुसरा वैकल्पिक रास्ता जो विचारण न्यायालय ने खसरा नं. 2155 की उतरी मेड़ के सहारे-सहारे माना है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में खसरा नं. 2155 की उतरी मेड़ के सहारे-सहारे स्थित रास्ते को वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 2155 की उतरी मेड़ के सहारे-सहारे मौके पर स्थित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होना बताया है तथा उक्त रास्ता निजी खातेदारी का होकर खसरा नं. 2161 की पूर्वी मेड़ पर जाकर समाप्त हो जाता है। उक्त रास्ता भी अपीलांट्स की खातेदारी तक नहीं पहुंचता है। वर्तमान में अपीलांट्स की खातेदारी तक कोई भी गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुमकिन रास्ता नहीं लगता है। वांछित रास्ता ही अपीलांट्स के आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता होने के बावजूद भी अधीनस्थ. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे तथा अपीलांट्स के आवागमन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01 से 11 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2156 रकबा 1.2378 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2158 रकबा 1.2187 हैक्टेयर में सें वांछित रास्ता ए.बी.सी.डी. को राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामांतरकरण स्वीकृत करने का व राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश रेस्पोडेंट संख्या 12 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे तथा रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह को पाबंद फरमाया जावे कि वो घोषित राजकीय रास्ते पर अपीलांट्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है, इसलिए नवीन रास्ते की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द में उपलब्ध रास्तो के आधार पर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका फर्द दिनांक 26.06.2021 के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स के आवागमन हेतु रास्तो के तीन विकल्प सुझाये गये है। प्रथम वैकल्पिक रास्ता जो खसरा नं. 2112 गैर मुमकिन रास्ते से लगता हुआ खसरा नं. 2123 व 2163 में से बताया गया है जो खसरा नं. 2123 व 2163 में चालू है, किंतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता खसरा नं. 2160 में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है, जिसे प्रथमदृष्टया अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ता नहीं माना जा सकता है। उक्त विकल्प की दूरी प्रस्तुत मौका फर्द में अधिक बतायी गई है।

मौका फर्द के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में अपीलांट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 2155 की उतरी सीमा के सहारे-सहारे चालू रास्ता उपलब्ध होना बताया गया है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में अपीलांट्स द्वारा खसरा नं. 2156 एवं 2158 में से चाहे गये रास्ते को निकटतम माना किंतु लंबाई के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मौका फर्द के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 2159 तक आवागमन हेतु कोई भी गैर मुमकिन रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका फर्द में जो दो रास्ते के विकल्प बताये गये है, उक्त दोनो विकल्प की पहुंच अपीलांट्स की खातेदारी तक नही है। इन परिस्थितियों में अपीलांट्स के खातेदारी तक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अगस्त 2022 निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान् की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थिति मे अपीलांट्स की खातेदारी खसरा नं. 2159 से गैर मुमकिन रास्तो तक मौके पर उपलब्ध तीनो वैकल्पिक रास्तो के विकल्पो की लंबाई सहित मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलांट्स खातेदारी से गैर मुमकिन रास्ते तक पहुंच वाले निकटतम एवं लघुतम विकल्प का चयन करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/1/2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर सत्यमेव जयते